

रा.भा.वि./हि.शि.यो.सं.-2
D.O.L/H.T.S. No.-2

हिन्दी शिक्षण योजना (परीक्षा स्कंध)
HINDI TEACHING SCHEME {EXAMINATION Wing}
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली
DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGES, M.H.A., NEW DELHI

परीक्षा:- मई/नवम्बर.....200
Examination :- MAY/NOV.200

अंतिम तिथि:- 15 फरवरी/16 अगस्त
Last date:- 15 FEB./16 AUG.

प्रवीण
PRAVEEN
आवेदन पत्र
APPLICATION FORM

नियमित Regular	प्राइवेट Private	गहन Intensive	पत्राचार Correspondence

अनुक्रमांक
Roll No
परीक्षा केन्द्र
EXAMINATION CENTRE

संबंधित कोष्ठक पर / निशान लगाएं
Put marks on the box applicable.

1. पूरा नाम (हिन्दी में)
Full Name [in English Capital letters]
2. पिता/पति का नाम (हिन्दी में)
Father's/Husband's Name [in English capital letters].....
3. कार्यालय का नाम तथा पूरा पता (हिन्दी में)
Name and full address of the office [in English]

दिनांक.....
Date

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
Applicant's Signature

हिन्दी शिक्षण योजना (परीक्षा स्कंध)
HINDI TEACHING SCHEME {EXAMINATION}
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली
DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGES, M.H.A., NEW DELHI

परीक्षा:- मई/नवम्बर.....200
Examination :- MAY/NOV.200

प्रवीण
PRAVEEN
प्रवेश-पत्र
ADMISSION CARD

नियमित Regular	प्राइवेट Private	गहन Intensive	पत्राचार Correspondence

अनुक्रमांक
Roll No
परीक्षा केन्द्र
EXAMINATION CENTRE

संबंधित कोष्ठक पर / निशान लगाएं

Put marks on the box applicable.

- पूरा नाम (हिन्दी में)
Full Name [in English Capital letters]
- पिता/पति का नाम (हिन्दी में)
Father's/Husband's Name [in English capital letters]
- कार्यालय का नाम तथा पूरा पता (हिन्दी में)
Name and full address of the office [in English]

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
Applicant's Signature

उप निदेशक (परीक्षा)
Dy. Director [Exam]

नोट:- प्रवेश पत्र मांगने पर परीक्षार्थी को केन्द्र अधीक्षक/प्राधिकृत व्यक्ति को दिखाना है ।

Note:- Examinee must show this admission card on demand to the Centre Supdt./Authorised person.

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....हिन्दी शिक्षण योजना/केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान/केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, के नियमित/प्राइवेट/गहन/पत्राचार पाठ्यक्रम के परीक्षार्थी है। वे परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र हैं।

परीक्षा शुल्क रूपएबैंक ड्राफ्ट संख्या.....दिनांक
द्वारा उप निदेशक (परीक्षा), हिन्दी शिक्षण योजना, नई दिल्ली के पदनाम से संलग्न हैं।

नोट:- परीक्षा शुल्क सरकारी उपक्रमों/निगमों/निकायों और बैंकों के कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है।

Certified that Shri./Shrimathi/Kum.is a Regular/Private/Intensive/Correspondence course examinee of the Hindi Teaching Scheme/Central Hindi Training Institute/Central Hindi Directorate. He/She is eligible to appear for the examination.

Examination Fee of Rs.40 / 50 by way of Draft No.....[Bank.....] dated..... In favour of Dy. Director [Exam.], New Delhi is enclosed.

Note: Examination Fee is compulsory for the employees of Govt. Undertakings / Corporations / Autonomous Bodies and Banks.

Signature:

हस्ताक्षर

हिन्दी प्रा./अंश का. हि.प्रा./स.नि. (नियमित/गहन)
Hindi Pradhyapak / Asstt. Director [Regular / Intensive]

सहायक निदेशक (प.पा.) (पत्राचार पाठ्यक्रम)
कार्यालय का एएAssistant Director [C.C.]

सर्वकार्य प्रभारी अधिकारी के
पूरा पता (मोहर सहित)
Officer-in-Overall Charge [Seal & full address]

सक्षम अधिकारी {मोहर सहित पूरा पता (प्राइवेट)}
Competent Authority [Seal and address]

नोट:- आवेदन पत्र संबंधित क्षेत्रीय उप निदेशक के माध्यम से भेजे।

Note: Application should be duly forwarded through the Regional Deputy Director concerned.

परीक्षार्थियों के लिए निर्देश
INSTRUCTIONS FOR THE EXAMINEES

1. साधारणतः 15 मिनट देर से आने वाले परीक्षार्थी को परीक्षा हाल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा ।

Normally the examinee who is late by more than 15 minutes shall not be allowed into the examination hall.

2. कोई परीक्षार्थी परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग करते हुए पाया गया तो उसके विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी ।

If any examinee is found resorting to adoption of unfair means during the examination, strict action will be taken against him/her as per Rules..

3. प्राइवेट परीक्षार्थी के लिए मौखिक परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य है ।

It is compulsory for private examinees to appear for the Viva-Voce test.

4. परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी अपने पास कोई अप्राधिकृत पुस्तकें/कागजात न रखें ।

Examinee is not allowed to keep any unauthorised book/paper with him /her during the examination.